

विचार बिन्दु

अशिक्षित रहने से पैदा ना होना अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही सब विपत्ति का मूल है।

अज्ञानी के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और यदि उसमे

यह समझाने की बुद्धि हो तो वह अज्ञानी नहीं रहेगा। –शेख सादी

आरक्षण कब तक?

भारतीय संविधान के प्रियम्बल (उद्देशिका), जो संविधान की आत्मा है तथा संविधान को जानने की कुंजी है, में यह उद्घोषणा की गई है कि भारत के नागरिकों को गणतंत्र में जो प्रभुता सम्पन्न, सामाजिक व धर्मनिरपेक्ष है वह सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देगा। नागरिकों के मध्य समता, समानता तथा समरसता तथा बंधुत्व की भावना होगी। संविधान में व्यवस्था की कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आराधना, पूजा व उसे मानने की स्वतंत्रता होगी और प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का मूल अधिकार होगा। संविधान ने सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनैतिक न्याय से प्राथमिकता दी गई। आरक्षण सामाजिक न्याय के आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं, क्योंकि दलितों के साथ समाज का तथाकथित उच्च वर्ग पशुता तथा क्रूरता का व्यवहार था, उनका जीवन नारकीय बना रखा था। 103वें संविधान संशोधन से 2019 में अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10 प्रतिशत किया गया। आजादी से पूर्व जब दलित हरिजन गांव में सफाई करने निकलता था तो उसे गले में चंटी बांधकर बजाते हुए निकलना होता है ताकि सभीय चलने वालों पर उनकी छाया से तथाकथित उच्च जाति के लोग उसकी छाया से अपवित्र न हो।

आजादी के बाद संविधान व कानूनों के प्रावधान तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, आज पिछड़ों का एक वर्ग आरक्षण के लाभ के सहारे पिछड़ा नहीं रहा वह क्रीमिलेयर का व्यक्ति हो गया और उसे आरक्षण से बाहर होना चाहिये था; क्योंकि वह विधायक, सांसद, आइएएस, आरएएस, प्रोफेसर, टीचर आदि बन गया; किन्तु अति पिछड़ा, अति अति पिछड़ा जो आज भी एक बड़ी संख्या में है, वे आज भी जीवन पूर्ववत् की भांति जी रहे हैं, जबकि आरक्षण के अधिकारी थे। पिछड़ेपन का लाभ कुछ जातियों तक सीमित होकर रह गया। भारत सरकार ने सन् 1965 में एक एडवायजरी कमेट८ इस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के हेतु लोचुर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि आरक्षण धीरे-2 समाप्त किया जाना चाहिये। देवर कमेटी का भी यही विचार था कि जो अधिक पिछड़ा है उसे ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। आरक्षण का लाभ लेकर कई विधायक/सांसद कई बार चुनाव जीत कर भी तथा भारी पैशन लेकर भी पिछड़े ही माने जा रहे हैं। यह विरोधाभास समझ से परे है।

जो जाति अथवा जनजाति पिछड़ेपन के आरक्षण से लाभ प्राप्त कर चुकी है, वह अनुसूची से बाहर होनी चाहिए ऐसे लोगों को क्रीमिलेयर के नाम से जाना जाता है। इस शब्द अथवा एक्सप्रेशन का नाम जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्टेट ऑफ केरल बनाम एन.एम. थोमस 1976 (2) एस सी सी 310 में किया है। बाद के सभी निर्णयों में इस शब्द का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में किय गया है। इन्द्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1992 एससीसी सप्लीमेंट (3) 217 में सर्वोच्च न्यायालय अपने उक्त निर्णय में यह करार दिया कि आरक्षण का लाभ प्रत्येक पिछड़ों को तथा अति पिछड़े है, उन्हें मिलना चाहिए और सरकार से अनुशंसा की कि ओबीसी की सूची से इन्हें अलग करे। इसी प्रकार एम. नागराज बनाम यू. ऑफ इण्डिया 2006(8) एससीसी 1, यू.पी. पावर कोर्पोरेशन बनाम राजेश कुमार 2012(7) एससीसी व अशोक कुमार ठाकुर के केस 2008 (6) एससीसी आदि के निर्णयों में यह कहा गया कि पिछड़ों में जो क्रीमिलेयर में उंचाई तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने पिछड़ों व अति पिछड़ों को अत्यन्त निर्बल कर दिया है और मलाई को वे चाट गए हैं लोचुर कमेटी ने जोर देकर कहा कि 67 वर्षों के बाद यह कहा जा सकता है कि सभी पिछड़े अब पिछड़े नहीं रहे। इस कारण जो वस्तुत: पिछड़े रहे हैं केवल वे ही जो अनुसूची में है, आरक्षण की प्राप्ति के संवैधानिक रूप से अधिकारी हैं और मलाई खाने वाले व्यक्ति आरक्षण के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते।

उपरोक्त सिद्धान्त को हम संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में देखते तो पायेंगे कि राज्य सभी पिछड़ों को जो अनु. जाति व अनु. जनजाति की अनुसूचियों में हैं, उन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है।

इमें इस विषयवस्तु को समझने के लिए जो संशोधन 16(4)(ए) व 16(4)(बी) तथा अनुच्छेद 335 के संदर्भों में भी परखना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज के केस में इन संशोधनों को संवैधानिक माना, परन्तु राज्य की इनेलिविंग शक्ति को आरक्षण के लाभ को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्राप्त हो उसके लिए अनुच्छेद 335 के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए तीन बातों को सिद्ध करना होगा कि (1) क्या वह अभी भी पिछड़ा है (2) क्या उस जाति का

विवरण से स्पष्ट होगा कि देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का जिनका शासन रहा, उन्होंने संविधान की अवज्ञा की है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की भी अवज्ञा की है। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत संविधान संशोधनों की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकायें 20 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित न्याय की प्रतीक्षा में लम्बित हैं।

सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध है। अनुच्छेद 334 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्षों की समाप्ति पर लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा अर्थात् स्वत: ही समाप्त (ब्रैम्) हो जावेगा। प्राणहीन होगा। गणतंत्र में चुनाव के लिये खड़ा होना संविधान के मूल ढांचे का आधार है। कुछ वर्षों पूर्व के आंकड़ों के अनुसार 120 लोकसभा सीट्स व 1090 विधानसभा की सीट्स ऐसी हैं जहां देश के नागरिक को स्वेच्छा से खड़े होने की स्वतंत्रता आरक्षित सीटों के कारण नहीं थी। इस प्रकार 18 करोड़ देश के व्यक्ति चुनाव लड़ने के अधिकार से जो उनका संवैधानिक अधिकार है वंचित कर दिये गये; किन्तु देश का दुर्भाग्य था कि देश को सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिनका भी शासन रहा, उन्होंने अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। जबकि जो प्रावधान दिनांक 25.01.1960 के पश्चात स्वत: ही लुप्त होने वाला था, उसे अवैध रूप से संशोधन के द्वारा पुन: 10 वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। गणित का नियम है कि शून्य में से शून्य न तो घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। शून्य में शून्य निकालो तो शून्य ही आवेगा। अनुच्छेद 334 में जहां 10 वर्ष की अवधि का उल्लेख है वहां 20 वर्ष किया गया इसे 8वां संविधान संशोधन एक्ट 1959 से दिनांक 05.01.1960 से प्रभावी किया गया; जो असंगत है। इसी प्रकार प्रत्येक 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व संविधान संशोधन किये जाते रहे हैं। ये सभी संशोधन अवैध और प्रभावहीन है। वस्तुत: संविधान 8वां संशोधन अधिनियम स्वयं ही अवैध था। अनुच्छेद 334 की मंशा थी कि 10 वर्ष पश्चात् यह स्वत: ही निष्पन्न होगा। समय से पूर्व संशोधन कर 10 वर्ष की अवधि को बढ़ाना संविधान को दुबारा लिखना था। संविधान के निर्माताओं का दृढ़ संकल्प था कि सीटों का आरक्षण 10 वर्ष से अधिक का नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि इस आरक्षण के कारण देश के अन्य नागरिकों को चुनाव में खड़े होने के अधिकार से वंचित किया जाता है। शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है जिसमें ओबीसी शामिल है उन पर समय की सीमा का निर्धारण नहीं है; किन्तु उसकी भी कोई सीमा होनी चाहिये। आजादी के 75 वर्षों के बाद तक हम सभी नागरिकों को समानता का धरातल नहीं दे पाये। अधिकांश पिछड़े वहीं पर खड़े हैं, जहां वे प्रारम्भ थे। शासन की अस्फलता का यह अकाट्य प्रमाण है।

आइये हम मिलकर अनुच्छेद 334 के इतिहास को समझने का प्रयत्न करें तो हम इसी नतीजे पर आयेंगे कि इसकी अवधि जो 10 वर्ष की निश्चित थी उसे बढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं था।

संविधान का अनुच्छेद 334, संविधान के प्रारंभिक प्रारूप में अनुच्छेद 295(ए) था इसमें यह व्यवस्था रखी थी कि स्थानों (सीट्स) के आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व का आरक्षण 10 वर्ष के पश्चात् नहीं रहेगा। सदस्य श्री युधिष्ठिर मिश्रा ने यह प्रस्ताव रखा कि “अनुसूचित जनजाति” को शब्दावली को लुप्त कर दिया जावे अर्थात् इनका आरक्षण 10 वर्ष तक सीमित न रखा जावे। श्री एस नागप्पा ने एक परन्तुक जोड़कर यह तर्मीम को सुझाव दिया कि अन्य उन्नत श्रेणी के व्यक्तियों की भांति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से इनको आगे लाकर समता का धरातल दिया जावे। श्री मुनी स्वामी फिल्लई व डा. मनमोहन दास ने सुझाव दिया कि जब तक अन्य व्यवस्था पार्लियामेन्ट द्वारा न हो यह आरक्षण चालू रहे। यह भी सुझाव था कि जब तक शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक दृष्टि से ये अन्य जातियों के बराबर न आ जावें यह व्यवस्था चलती रहे। किन्तु डा. अम्बेडकर ने यह कहकर सब सुझाव खारिज कर दिये कि ये सुझाव (तर्मीम) स्वीकार नहीं किये जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्ष की अवधि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने सुझाई थी। ब्रिटिश राज्य के समय में जो आरक्षण 20 वर्ष का था वह भी 1952 में समाप्त हो गया था।

देश का कोई भी नागरिक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध नहीं है। उनके विरुद्ध जो हमारा आचरण रहा, उनके फरस्वरूप यह सरकार का कर्तव्य था कि वे उनकी शिक्षा, सामाजिक सुधार व आर्थिक उन्नति के हेतु कार्यक्रम तैयार कर उन्हें समता प्राप्त कराने में सहयोग देते, किन्तु सरकार पिछड़े समुदायों का भला कर पाने में विफल रही है और वह भी वोट की राजनीति के कारण। संविधान लागू होने से आज तक इनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी वे अशिक्षित है, अपावग्रस्त है। समाज ने अभी भी उन्हें पूर्ण रूप में नहीं अपनाया है अर्थात राजनीतिक पार्टीज ने अथवा सरकार ने उनके उत्थान के लिये जो कार्य करना था नहीं किया है, केवल मात्र आरक्षण का लाभ दिलाने की बात कह कर अपने वोट पक्के करने का प्रयास किया है। राजनीतिक पार्टीज आरक्षण के नाम पर समाज को जातियों के रूप में बांटकर, अपना वोट बैंक बनाने में लगी हुई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि देश की प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का जिनका शासन रहा, उन्होंने संविधान की अवज्ञा की है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की भी अवज्ञा की है। संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत संविधान संशोधनों की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकायें 20 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में त्वरित न्याय की प्रतीक्षा में लम्बित हैं।

देश के सामने यक्ष प्रश्न है, देश के पिछड़ों को समानता का अधिकार कब प्राप्त होगा? आरक्षण कब खत्म होगा?

सबको सम्मति दे भगवान् !

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संपादकीय

सुदूर भूमि पर भारतीय संस्कृति के स्वर

लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा, सावरकर हाऊस, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक स्थल समेत नवरात्रा महोत्सव और रामलीला मंचन ये सभी भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहरें हैं जो वैश्विक मानवता को दिशा दे रही हैं



डॉ. लोकेश चन्द शर्मा

लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा, सावरकर हाऊस, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक स्थल, ब्रिटिश नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में मां सरस्वती का चित्र, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का ऑयल पोर्ट्रेट, ब्रिटिश संसद के सेन्ट स्टीफन हॉल में सर थॉमस रॉ एट दी कोर्ट ऑफ अजमेर 1614 की पेन्टिंग, बारबाडोस संसद में स्पीकर की इंडियन चेयर के साथ विदेशी धरती पर नवरात्रा महोत्सव और रामलीला मंचन, ये सभी भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहरें हैं जो वैश्विक मानवता को दिशा दे रही हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की संसदीय परम्पराओं के अध्ययन और राष्ट्र मण्डल संसदीय सम्मेलन के लिए यू.के. और बारबाडोस यात्रा में भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान का दर्शन जीवंत हुआ है।

सावरकर हाऊस- राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र रहे सावरकर के हाउस को लंदन यात्रा के दौरान देखा। देवनानी ने

बताया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थान पर रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी एवं क्रांतिकारी विचारक श्री वीर विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता सार्वक को लेखन किया

अंबेडकर हाउस संग्रहालय- डॉ. भीम राव अंबेडकर के न्याय और समानता के विचार को आकार देने वाले लंदन स्थित अंबेडकर हाउस संग्रहालय का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अवलोकन किया। भवन के भूतल पर डॉ. अंबेडकर की कांस्थ प्रतिमा स्थापित है। लगभग एक घंटे तक देवनानी ने म्यूजियम में रह कर वहां डॉ. अंबेडकर के दुर्लभ साहित्य का अध्ययन किया।

लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा : लंदन में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। गांधी जी केवल भारत के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रेरणास्रोत हैं। उनका सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित जीवन आज भी विश्व के लिए मार्गदर्शक है। गांधी जी की प्रतिमा लंदन जैसे शहर में स्मरण कराती है कि भारत की कार्य शैली करुणा, शांति और सत्य पर आधारित है। आज जब विश्व अनेक संघर्षों से गुजर रहा है, तब गांधी जी के सिद्धांत मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ हैं।

महाराजा गंगा सिंह के ऐतिहासिक ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट : ब्रिटिश नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के ऐतिहासिक ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट लगी हुई है। इस चित्र को ब्रिटिश चित्रकार सर जॉन लेवरी ने 1921 में तैयार किया था। चित्र में महाराजा गंगा सिंह

राजस्थान में स्टार्टअप्स : नवाचार और रोजगार सृजन की नई राह

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और उन्हें मजबूत आधार प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है



अविनाश जोशी

राजस्थान आज केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी तेजी से पहचाना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने

और उन्हें मजबूत आधार प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा न केवल रोजगार पाने वाले बनें, बल्कि स्वयं रोजगार देने वाले भी बनें। इसी दृष्टि से शुरू किए गए आईस्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम ने कुछ ही वर्षों में

उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। आईस्टार्ट राजस्थान आज प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करने का एक सशक्त मंच बन चुका है। इस कार्यक्रम से अब तक 6 हजार 600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 2 हजार 419 महिला उद्यमी भी शामिल हैं। यह महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजीकृत स्टार्टअप्स ने न केवल 41 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है, बल्कि प्रदेश में उद्यमिता की संस्कृति को भी नई दिशा दी है। साथ ही, लगभग एक हजार करोड़ रुपये का निवेश वेंचर कैपिटलिस्ट्स, एंजेल इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स से प्राप्त हुआ है। परिणाम स्वरूप राजस्थान निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रदेश सिद्ध हो रहा है।

भजनलाल सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही आवश्यक आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से अब तक 1,140 से अधिक चर्यनित स्टार्टअप्स को लगभग 52 करोड़ 20 लाख रुपये

की सहायता राशि प्रदान की गई है। यह वित्तीय सहयोग युवा उद्यमियों के आमविश्वास को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अपने विचारों को धरातल पर उतारने की क्षमता भी प्रदान करता है। स्टार्टअप्स की सफलता केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। इसके लिए योग्य बुनियादी ढांचा और निरंतर मार्गदर्शन को भी आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, पाली, चूरु और अजमेर में 9 शैक्षणिक संभाग स्तरों पर इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं। इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को नि:शुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, कंप्यूटर हाईवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, निवेशकों से जुड़ाव और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक्सपोजर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक लगभग 2 हजार 500 से अधिक स्टार्टअप्स ने इस इनक्यूबेशन प्रोग्राम का लाभ उठाया है और अपने विचारों को व्यवहारिक रूप दिया है।

राज्य सरकार ने एक और अभिनव कदम उठाते हुए स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार विभागों द्वारा 25 लाख रुपये तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रक्रिया

के जारी करने की व्यवस्था की है। इस प्रावधान से अब तक 158 स्टार्टअप्स को लगभग 28 करोड़ रुपये के कार्यादेश प्रदान किए जा चुके हैं। इससे न केवल स्टार्टअप्स को शुरुआती ऑर्डर मिलने में आसानी हुई है, बल्कि उन्हें बाजार में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिला है।

प्रदेश में उद्यमिता की जड़ें केवल शहरों तक ही सीमित न रहें, बल्कि गांव-गांव और कस्बों तक फैलाने की सोच के साथ सरकार ने ‘आईस्टार्ट लॉन्चपेड नेस्ट योजना’ शुरू की। इसके तहत 33 जिलों में प्रत्येक जिले के एक विद्यालय और एक महाविद्यालय में लॉन्चपेड स्थापित किए गए हैं। इस पहल से अब तक 2 हजार 900 से अधिक आउटरीच सत्रों के माध्यम से एक लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ा गया है।

यह पहल आने वाली पीढ़ी में आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम बन रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं, संस्कृति और संसाधनों को प्रोत्साहित करने तथा तकनीकी रोजगार सृजन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने ‘एलीजीसी-एक्सआर पॉलिसी’ लागू की है। इस

नीति का उद्देश्य एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप अवसर उपलब्ध कराना है।

इस नीति से न केवल रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि राजस्थान इस क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान एक नए औद्योगिक और उद्यमी युग में प्रवेश कर रहा है। सरकार का फोकस केवल पारंपरिक रोजगार के अवसरों पर नहीं है, बल्कि युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर है।

राज्य सरकार का यह संकल्प है कि राज्य के हर जिले, हर गांव और हर कस्बे में नवाचार की गुंज सुनाई दे। ‘आईस्टार्ट’ जैसे कार्यक्रम केवल योजनाएं नहीं हैं, बल्कि यह उस नए राजस्थान की झलक हैं, जहां युवा अपनी प्रतिभा के बल पर आत्मनिर्भर देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। यह पहल आने वाले समय में राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अविनाश जोशी, शिक्षाविद्।

 मेघ आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। परिजनों के व्यवहार के कारण हमें वृद्धि होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	 सिंह व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनेंगे लगेंगे।
 धनु नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आस्थासन प्राप्त होगे। अटके हुए कार्य बनेंगे लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। घर-परिवार में मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 मकर चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।
 वृष घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	 कन्या आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि का भय है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।
 मिथुन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 तुला आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।
 कर्क आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनेंगे लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।
 मीन स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	